

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न-20/असुव्य (214)/2025
सेवा में,

दिनांक: अप्रैल 10, 2025

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

RISHABH EDUCATION TRUST

(TULAS INSTITUTE & TULAS INTERNATIONAL SCHOOL)

DHOOLKOT, SELAQUI

जनपद—देहरादून।

सन्दर्भ—

शैक्षणिक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-48269417 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा RISHABH EDUCATION TRUST (TULAS INSTITUTE & TULAS INTERNATIONAL SCHOOL), DHOOLKOT, SELAQUI, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक 08.04.2025 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः RISHABH EDUCATION TRUST (TULAS INSTITUTE & TULAS INTERNATIONAL SCHOOL), DHOOLKOT, SELAQUI, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 10 अप्रैल 2025 से 09 अप्रैल 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा—

1. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन 18 ब्लॉक (मूलतः एवं अग्रेतर दो तल तथा मूलतः एवं अग्रेतर तीन तल) में निर्मित है। यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन का उपयोग अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/होटल/गेस्ट हाउस आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।
2. प्रश्नगत भवन में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाउस की इलेक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है, यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाउस की इलेक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा। फायर पम्प को सदैव ऑटो मोड में रखा जाए।
3. प्रश्नगत भवन के सैट बैंक में स्थाई व अस्थाई निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये, जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
5. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैंक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन एक्जिट, पावर बैंक अप साथ रहेगी।
6. प्रश्नगत भवन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय-समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेंगे, तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल करते रहेंगे।
7. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
8. प्रश्नगत भवन में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
9. प्रश्नगत भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
10. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सुझाव के अनुरूप व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा तथा प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
11. शैक्षणिक भवन में संचालित लेब (कैमरेस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
12. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून

